

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.29 (1) न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 06.02.2019


आज्ञा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापित निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1.	श्री कपिल कौशिक पुत्र श्री अनिल कौशिक	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या-2, बून्दी।	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा।
2.	श्री आयतुल्लाह खान	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा।	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर।
3.	श्री लादूलाल	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या-1, कोटा।	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या-2, बून्दी।

नोट:- उक्त कार्मिकों का स्वयं के प्रार्थना पत्र पर स्थानान्तरण किया गया है। अतः इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।

आज्ञा से

  
06-02-19

(कैलाश सिंघाडिया)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा, अधिकरण, क्रम संख्या-2, बून्दी, क्रम संख्या-1, कोटा, बीकानेर एवं दौसा।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. रक्षित पत्रावली।

  
06-02-19

उप शासन सचिव


राजस्थान-सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.29(1)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 08.02.2019

संशोधित आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2019 के क्रम संख्या 03 में नवीन पदस्थापन कालम मे अंकित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-02 के स्थान पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-01 बून्दी पढ़ा जावे।

  
08-02-19

(कैलाश सिंगाडिया)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम संख्या-02, क्रम संख्या-1, कोटा
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को भेजकर लेख है कि कृप्या उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अविलम्ब डाला जावे।
4. संबंधित कर्मचारी।
5. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव